Bill No. 7 of 2015

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 5, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.- For the existing sub-section (2) of section 5 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 (Ordinance No. 7 of 1950), the following shall be substituted and deemed to have been substituted with effect from 8th August, 2014, namely:-

> "(2) References in any enactment or document for the time being in force to the "Court of the Subordinate Judge" and to "Subordinate Judge" shall be deemed to have been made respectively to the "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and to "Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" as constituted and appointed or deemed as constituted and appointed under this Ordinance.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendments regarding revisiting the pecuniary jurisdiction of civil courts and change in the nomenclature of the civil courts/posts were made in the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014. The Rajasthan High Court has suggested further to amend the nomenclature of post of Civil Judge to Senior Civil Judge in sub-section (2) of section 5. Therefore, sub-section (2) of section 5 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 is proposed to be substituted to incorporate the amendment suggested by the High Court. The amendment is also proposed to give effect from 8th August, 2014, the date on which the Rajasthan Civil Courts (Amendment) Act, 2014 came into force.

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

राजेन्द्र राठौड़,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CIVIL COURTS ORDINANCE, 1950

(Ordinance No. 7 of 1950)

XX XX XX XX XX XX

5. Saving Clause.- (1) xx xx xx xx xx

(2) References in any enactment or document for the time being in force to the "Court of the Subordinate Judge" and to "Subordinate Judge" shall be deemed to have been made respectively to the "Court of the Senior Civil Judge/Additional Senior Civil Judge" and to "Civil Judge/Additional Civil Judge" as constituted and appointed or deemed as constituted and appointed under this Ordinance.

(3) xx xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2015 का विधेयक सं.7

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1950 के राजस्थान अध्यादेश सं. 7 की धारा 5 का संशोधन.- राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश सं. 7) की धारा 5 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 8 अगस्त, 2014 से प्रतिस्थापित किया हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-

> "(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या दस्तावेज में "अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय" तथा "अधीनस्थ न्यायाधीश" के प्रति निर्देश क्रमशः, इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त या गठित तथा नियुक्त समझे गये "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" और "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश" के प्रति किये गये समझे जायेंगे।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सिविल न्यायालयों की धन-संबंधी अधिकारिता का पुनरीक्षण करने और सिविल न्यायालयों/पदों की नामपद्धति में परिवर्तन करने के संबंध में राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा संशोधन किये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने धारा 5 की उप-धारा (2) में सिविल न्यायाधीश के पद की नामपद्धति को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करने के लिए और संशोधित करने का सुझाव दिया है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा सुझाये गये संशोधन को सम्मिलित करने के लिए राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 5 की उप-धारा (2) को प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस संशोधन को 8 अगस्त, 2014, वह तारीख जिसको राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 प्रवृत्त हुआ, से प्रभावी किया जाना भी प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

राजेन्द्र राठौड़,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश सं. 7) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

5. व्यावृत्ति खण्ड.- (1) XX XX XX XX XX

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति या दस्तावेज में "अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय" तथा "अधीनस्थ न्यायाधीश" के प्रति निर्देश क्रमश:, इस अध्यादेश के अधीन गठित तथा नियुक्त या गठित तथा नियुक्त समझे गये "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश/अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय" और "सिविल न्यायाधीश/ अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश" के प्रति किये गये समझे जायेंगे।

(3) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.7

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(राजेन्द्र राठौड़, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 7 of 2015

THE RAJASTHAN CIVIL COURTS (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Rajendra Rathore, **Minister-Incharge**)